

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

नारायणलाल

बनाम

मोहनकिस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 451/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04/12/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

नारायणलाल - सत्यनारायण पिता देवीलाल जी गाडरी
प्रार्थी श्री देवीलाल पिता गिरन्धारी, भरीकाई पत्नी देवीलाल
मोहन जी गाडरी

निवासी- सेमलिया (तह. चित्तौड़गढ़) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सेमलिया (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 449, 452, 440, 443, 448, 453, 201, 202, 1217, 1237, 1281, 1308, 1309, 1280, 449,
0.08, 0.32, 0.55, 0.025, 0.36, 0.33, 0.08, 0.19, 0.20, 0.50, 0.05
450, 451
0.08, 0.32

कुल कीता 17 कुल रकबा 3.5350 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सेमलिया (तह. चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 449, 452, 440, 443, 448, 453, 201, 202, 1217, 1237, 1281, 1308, 1309, 1280, 449, 450, 451
0.08, 0.32, 0.55, 0.025, 0.36, 0.33, 0.08, 0.19, 0.20, 0.50, 0.05, 0.08, 0.32

कुल कीता 17 रकबा 3.5350 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500=00 रुपये अक्षरे एक हजार पच्चे सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

रामचन्द्र खटीक
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़